

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

\*\*\*\*\*

अधिसूचना  
संख्या 64 /2018- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2018

का.आ. (अ).---- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 158 की उपधारा (2) के उपवाक्य (i) के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (2) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, लेवी ऑफ फीस (कस्टम्स डॉक्युमेंट्स) रेगुलेशन्स, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. (1) इन विनियमों को लेवी ऑफ फीस (कस्टम्स डॉक्युमेंट्स) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इन विनियमों में, विनियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम को जोड़ा जाएगा, यथा:-

“विनियम 5. कतिपय मामलों में एक्सपोर्ट मेनिफेस्ट में संशोधन- इन विनियमों के अंतर्गत किसी एक्सपोर्ट मेनिफेस्ट में उस समय कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जब इनलैंड कंटेनर डिपो में 1 जुलाई, 2017 से 30 जून 2018 तक दायर किए गए शिपिंग बिल की प्रविष्टियों को लेकर ऐसे मेनिफेस्ट में कोई संशोधन किया जाता है या इसमें और कुछ जोड़ा जाता है”.

[फा. स. 450/198/2015- सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

जुबैर रियाज़

(जुबैर रियाज़)  
निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान विनियमावली को का. आ. 4018, दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (ii) में प्रकाशित की गयी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2017- सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 11 अप्रैल, 2017 जिसे सा. का. नि. 1156 (अ) दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।